भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशनार्थ

(भाग–I, खण्ड–1)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय

<u>सार्वजनिक सूचना सं. 20/2015–2020</u>
नई दिल्ली, दिनांकः 09 जून, 2015

विषयः– प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 4.38 (viii) (ख) और (ग) तथा पैरा 4.42 (ग) में संशोधन के संबंध में दिनांक 4 जून, 2015 की सार्वजनिक सूचना सं0 16 से संबंधित शुद्धिपत्र।

विदेश व्यापार नीति, 2015–2020 के पैरा 1.03 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्द्वारा विदेश व्यापार नीति, 2015–20 की प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 4.38 (viii) (ख) और (ग) तथा पैरा 4.42 (ग) में संशोधन करते हुए दिनांक 04 जून, 2015 की सार्वजनिक सूचना सं0 16 से संबंधित शुद्धिपत्र अधिसूचित करते है। इन सुधारों को 01 अप्रैल, 2015 से लागू माना जाएगा।

पैरा 4.38 (viii) (ख) और (ग) में सुधार

सुधार किए गए पैरा 4.38 (viii) (ख) और (ग) को निम्नानुसार पढ़ा जाएगाः–

"4.38 प्राधिकार पत्रों की क्लबिंग की सुविधा

(viii) (ख) जहाँ प्राधिकार पत्र 18 माह की प्रारंभिक दायित्व अवधि के साथ जारी किए जाते हैं और पोत लदान की अंतिम तारीख 30 माह के भीतर होती हैः–

ऐसे मामलों में प्राधिकार पत्र के सबसे पहले के निर्गम की तारीख से 30 माह तक किए गए निर्यात पर ही क्लबिंग हेतु विचार किया जायेगा। निर्यात लेखांकन सबसे पहले के प्राधिकार पत्र के निर्गम की तारीख से 18 माह के पश्चात परन्तु 24 माह तक किए गए निर्यात के एफओबी मूल्य के 0.5 प्रतिशत की दर से समायोजन शुल्क के भुगतान के अधीन होगा। सबसे पहले के प्राधिकार पत्र की तारीख से 24वें माह के पश्चात 30वें माह तक किए गए निर्यात के लिए संरचना शुल्क किए गए निर्यात के एफओबी मूल्य के 0.5 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से लगेगा।

(ग) जहाँ 36 माह की प्रारंभिक दायित्व अवधि के साथ प्राधिकार पत्र (पत्रों) को 18 माह की प्रारंभिक दायित्व अवधि के साथ प्राधिकार पत्र (पत्रों) को क्लब किया जाता हैः

ऐसे मामलों में, प्राधिकार पत्र के सबसे पहले के निर्गम की तारीख से 30 माह तक किए गए निर्यात पर ही क्लबिंग हेतु विचार किया जायेगा। निर्यात लेखांकन सबसे पहले के प्राधिकार पत्र के निर्गम की तारीख से 18 माह के पश्चात परन्तु 24

माह तक किए गए निर्यात के एफओबी मूल्य के 0.5 प्रतिशत की दर से समायोजन शुल्क के भुगतान के अधीन होगा। 24वें माह के पश्चात 30वें माह तक किए गए निर्यात के लिए संरचना शुल्क किए गए निर्यात के एफओबी मूल्य के 0.5 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से लगेगा।

2. पैराग्राफ 4.42 (ग) में सुधार

सुधार किए गए पैराग्राफ 4.42 (ग) को निम्नानुसार पढ़ा जाएगाः

"4.42. निर्यात दायित्व (ईओ) अवधि और इसका विस्तार

(ग) उपर्युक्त (ख) में प्रथम समयावधि बढ़ाने के पश्चात समयावधि को आगे बढ़ाने हेतु अनुरोध पर क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा विचार किया जा सकता है, बशर्ते प्राधिकार–पत्र धारक ने यथानुपात आधार पर मात्रा और मूल्य के अनुसार न्यूनतम 50 प्रतिशत निर्यात दायित्व को पूरा किया हो। यह पूरा न किए गए निर्यात दायित्व के एफओबी मूल्य के 0.5 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से समायोजन शुल्क का भुगतान किए जाने के अधीन होगा। क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा आगे समयावधि बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह प्रावधान विदेश व्यापार नीति 2009–2014 के दौरान जारी अग्रिम प्राधिकार पत्रों पर भी लागू होगा तथापि, उप पैरा (ख) और इस उप पैरा में यथा प्रदत्त प्रत्येक छह माह के लिए समयावधि को केवल दो बार बढ़ाये जाने की अनुमति दी जा सकती है जो संयोजन शुल्क का भुगतान किए जाने के अधीन है तथा क्षेत्रीय प्राधिकारी किसी भी परिस्थिति में निर्यात दायित्व की अवधि को पूरा करने की अवधि के समाप्त होने की तिथि से 12 माह से अधिक समयावधि बढ़ाने की अनुमति प्रदान नहीं करेगा। दूसरी बार समयावधि को बढ़ाने का आवेदन करते समय प्राधिकार पत्र धारक को एक स्वतंत्र सनदी लेखाकार/सनदी अभियंता से प्राप्त प्रमाण पत्र क्षेत्रीय प्राधिकारी को प्रस्तुत करना होगा जिसमें यह प्रमाणित किया हो कि अनुप्रयुक्त आयातित/घरेलू रूप से अधिप्राप्त की गई निविष्टियाँ आवेदक के पास उपलब्ध हैं।

<u>इस सार्वजनिक सूचना का प्रभावः</u> प्राधिकार पत्र की दूसरी बार समयावधि बढ़ाने के मामले में संरचना शुल्क किए गए निर्यात के एफओबी मूल्य के 0.5 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से लगेगा। तदनुसार पैरा 4.38 (viii) (ख) और (ग) को पैरा 4.38 (viii) (क) के अनुरुप बनाने के लिए इसमें संशोधन किए गए हैं। पैराग्राफ 4.42 (ग) की टंकण संबंधी त्रुटि को ठीक कर दिया गया है।

(प्रवीर कुमार)
महानिदेशक, विदेश व्यापार
ई मेलः dgft@nic.in

(फा0 सं0 01/94/180/333/एएम 15/पी सी 4 से जारी)